# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 39/2022

1. कैलाशचन्द्र पुत्र हनुमान निवासी वार्ड नंबर 8 अहीरों की ढाणी ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनू ।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम कैलाशचन्द अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 117/2021 निर्णय दिनांक 12.01.2022

उपस्थितिः–

1 .श्री मनोज कुमार वर्मा, एडवोकेट ---------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 30.12.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.01.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम कैलाशचन्द मु0नं0 117/2022 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 12.1.2022 खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने पटवारी पटवारी हल्का डाडा फतेहपुरा की रिपोर्ट पर ग्राम डाडा फतेहपुरा में खसरा नंबर 1262 कुल रकबा 3.57 हैक्टर गै0मु0 जोहड़ नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना मानकर अपीलांट को 0.02 हैक्टर भूमि [illegible] कृत रूप से मकान बनाकर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर विवादित भूमि से बेदखल [illegible] का निर्णय पारित करने तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

03 रूपये बतौर तावान कायम कर वसूलने का निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने पटवारी की अपूर्ण व वेग रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि में अपीलांट का मकान एवं निर्माण बना हुआ माना है और अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली आदेश पारित किया है। जबकि पटवारी हल्का ने दिनांक 21.12.2021 की जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट पर एवं दूसरी किसी अन्य कार्यवाहियों पर न तो इसका उल्लेख है कि तथाकथित अतिक्रमण किस दिशा में मौजुद है और उसके आस–पास की भौतिक स्थिति क्या है, कितनी सघन आबादी, बसासत व किस किस किस्मं के निर्माण मौजूद है तथा जिस भूमि पर अतिक्रमण माना गया है वह किस नाप का है व अतिक्रमण की गयी भूमि का माप–यंत्र से दर्ज किया गया है। इस प्रकार वेग रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बेदखल करने का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर 50–60 सालों से अपीलांट के पूर्वज काबिज चले आ रहे हैं। अपीलांट भी अपनी भूमी में पूर्वजों के समय से काबिज है तथा मौके पर सालों से पक्के मकान बनाकर आबाद हैं जिसका जल एवं विधुत बिल आदि भी अपीलांट व उसके बुजुर्गों के नाम से उक्त मकान में जारी हुआ है। अपीलांट ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हैं। इस मकान के अलावा अन्यत्र रहने हेतु कोई वैकल्पिक जगह नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार की जनहित याचिका के फैसले का आधार लिया है, किन्तु इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा आनंद कुमार बनाम राज0 सरकार व अन्य की पीआईएल याचिका संख्या 4419/2019 में वर्षो से पुराने पक्का मकानात से काबिज होकर चले आने तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही डोप फरमाने की फाईडिंग देकर रियायत प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के परिपत्र क प 6 16 राज0/ख/71 दिनांक 3.7.1971 द्वारा भी अतिक्रमण की संज्ञा में पाये गये दोषी को रियायत दी गई है। वादग्रस्त भूमि वास्तव में जोहड़की भूमि न होकर सघन आबादी मौजूद है जिसे पंचायत ने वार्ड नंबर 08 के रूप में घोषित कर रखा है। वार्ड नं 08 में अपीलांट के स्वयं के मकान हैं तथा करीब 60–70 घर मकानात बसासत है जिनमें 500 लोगों की आबादी है तथा सभी वार्ड सं 08 के रूप में मतदाता सूची में दर्ज है तथा राशन कार्ड [illegible] हुये है इसके अलावा बिजली सप्लाई हेतु 40–50 विधुत पोल समस्त आबादी में लगे हुये है [illegible] तार भूमि में बने मकानों में जाते है तथा पानी के कनेक्शन भी मौजूद है। सभी घरों में बिजली पानी की सप्लाई विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक पानी की टंकी व शहीद स्मारक के साथ ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गयी पक्की सडक भी मौजूद है जो इसी आबादी से गुजरती है।विचारण न्यायालय को निर्णय से पूर्व पटवारी हल्का से सर्वे रिपोर्ट मंगवायी जाकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय को नियमन की कार्यवाही करनी चाहिए थी ऐसा न कर भारी भूल की है। अंत में अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.1.2022 को निरस्त फरमाया जाने तथा अपीलांट की विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप अपीलांट को पुराने कब्जे के पक्के मकानात व रहवास अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के आधार पर नियमन की कार्यवाही हेतु समुचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 12.1.2022 खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने पटवारी पटवारी हल्का डाडा फतेहपुरा की रिपोर्ट पर ग्राम डाडा फतेहपुरा में खसरा नंबर 1262 कुल रकबा 3.57 हैक्टर गै0मु0 जोहड़ नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना मानकर अपीलांट को 0.02 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर विवादित भूमि से बेदखल करने का निर्णय पारित करने तथा 03 रूपये बतौर तावान कायम कर वसूलने का निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने पटवारी की अपूर्ण व वेग रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि में अपीलांट का मकान एवं निर्माण बना हुआ माना है और अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली आदेश पारित किया है। जबकि पटवारी हल्का ने दिनांक 21.12.2021 की जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट पर एवं दूसरी किसी अन्य कार्यवाहियों पर न तो इसका उल्लेख है कि तथाकथित अतिक्रमण किस दिशा में मौजुद है और उसके आस–पास की भौतिक स्थिति क्या है, कितनी सघन आबादी, बसासत व किस किस किस्मं के निर्माण मौजूद है तथा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह किस नाप का है व अतिक्रमण की गयी भूमि का माप–यंत्र से दर्ज किया गया। इस प्रकार वेग रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को बेदखल करने का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

के समक्ष जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर 50–60 सालों से अपीलांट के पूर्वज काबिज चले आ रहे हैं। अपीलांट भी अपनी भूमी में पूर्वजों के समय से काबिज है तथा मौके पर सालों से पक्के मकान बनाकर आबाद हैं जिसका जल एवं विद्युत बिल आदि भी अपीलांट व उसके बुजुर्गों के नाम से उक्त मकान में जारी हुआ है। अपीलांट ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हैं। इस मकान के अलावा अन्यत्र रहने हेतु कोई वैकल्पिक जगह नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अब्दुल रहमान बनाम राज0 सरकार की जनहित याचिका के फैसले का आधार लिया है, किन्तु इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर द्वारा आनंद कुमार बनाम राज0 सरकार व अन्य की पीआईएल याचिका संख्या 4419/2019 में वर्षो से पुराने पक्का मकानात से काबिज होकर चले आने तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही ड्रोप फरमाने की फाईडिंग देकर रियायत प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के परिपत्र क प 6 16 राज0/ख/71 दिनांक 3.7.1971 द्वारा भी अतिक्रमण की संज्ञा में पाये गये दोषी को रियायत दी गई है। वादग्रस्त भूमि वास्तव में जोहड़की भूमि न होकर सघन आबादी मौजूद है जिसे पंचायत ने वार्ड नंबर 08 के रूप में घोषित कर रखा है। वार्ड नं 08 में अपीलांट के स्वयं के मकान हैं तथा करीब 60–70 घर मकानात बसासत है जिनमें 500 लोगों की आबादी है तथा सभी वार्ड सं 08 के रूप में मतदाता सूची में दर्ज है तथा राशन कार्ड आदि बने हुये हैं इसके अलावा बिजली सप्लाई हेतु 40–50 विद्युत पोल समस्त आबादी में लगे हुये है जिनके तार भूमि में बने मकानों में जाते है तथा पानी के कनेक्शन भी मौजूद है। सभी घरों में बिजली पानी की सप्लाई विभाग द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा सार्वजनिक पानी की टंकी व शहीद स्मारक के साथ ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गयी पक्की सडक भी मौजूद है जो इसी आबादी से गुजरती है। विचारण न्यायालय को निर्णय से पूर्व पटवारी हल्का से सर्वे रिपोर्ट मंगवायी जाकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय को नियमन की कार्यवाही करनी चाहिए थी ऐसा न कर भारी भूल की है। अंत में अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.1.2022 को निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी ग्राम डाडा फतेहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि खसरा [illegible]62 कुल रकबा 3.57 किस्म गैर मु0 जोहड़ में रकबा 0.02 पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 12.01.2022 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी ग्राम डाडा फतेहपुरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 1262 कुल रकबा 3.57 किस्म गैर मु0 जोहड़ में रकबा 0.02 पर पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया है। विवादित भूमि गैर मु0 जोहड़ दर्ज रिकार्ड होने से धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अन्य प्रयोजनार्थ वर्जित होने तथा एवं जनहित याचिका अब्दूल रहमान आदि बनाम राज आदि के निर्णय अनुसार अपीलांट की अतिक्रमित भूमि नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट को पर्याप्त अवसर दिये जाकर सुना गया है। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2022 उनवानी सरकार बनाम कैलाशचन्द मु0नं0 117/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

( जगदीश प्रसाद गौड़ )
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( जगदीश प्रसाद गौड़ )
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.01.09 16:14:25 IST
Reason: SelfAttested